विश्व मामलों की भारतीय परिषद्

वर्ष 2010-2011
के वार्षिक लेखे

विषय-सूची

विश्व मामलों की भारतीय परिषद् 31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे	1
31.03.2011 को तुलन पत्र की स्थिति	3
31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के आय-व्यय लेखे	4
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	15

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां और भुगतान

प्राप्तिया	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. प्रारंभिक शेष		
(क) रोकड़ शेष		
नकदी	–	1,00,845
बम्बई शाखा में नकदी-पुराना	–	12
(बैंक में प्रारंभिक शेष		
चालू खाता		
बैंक ऑफ इंडिया, बम्बई खाता संख्या-30389	–	19,658
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	57,70,117	33,22,454
सावधि जमा		
बैंक ऑफ इंडिया, बम्बई	–	78,000
(ग) अन्य		
अग्रदाय खाता	5,000	1,000
प्रेषक के पास डाक टिकटें	3,029	4,141
अनुदान		
अनुदान – साधारण (सहायता अनुदान)	7,00,00,000	6,60,00,000
अनुदान - परियोजनाएं (सीएससीएपी बैठकें)	3,76,496	17,50,599
अनुदान - सेमिनार के लिए एमईए से	–	9,96,800
आईसीएसएसएसआर से अनुदान	1,96,280	–
III. आय		
पुस्तकालय सदस्यता	11,79,600	8,85,640
प्रकीर्ण आय	73,161	44,606
स्वामिस्व प्रकाशनों आदि से आय	1,75,775	3,397
अभिदान और बिक्री - भारत तिमाही	498	–
VI. अन्य प्राप्तियां		
प्रतिभूति – लाइब्रेरी	42,000	19,900
अन्य अग्रिम प्राप्तियां	1,60,851	33,011
कुल अग्रनित	7,79,82,807	7,32,60,063

भुगतान	चालू वर्ष	पिछला
I. व्यय		
(क) स्थापन व्यय		
वेतन भविष्य निधि इत्यादि	1,14,72,814	1,30,28,974
बोनस	1,30,676	1,37,296
उपदान व्यय	3,84,102	41,82,083
परिषद अभिदाय पेंशन निधि	1,96,383	2,14,777
कर्मचारी कल्याण व्यय	12,178	26,182
प्रशासनिक प्रभार-आरपीएफसी	16,046	6,600
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	19,35,370	2,44,733
कर्मचारी समूह बीमा	29,032	16,000
(ख) प्रशासनिक व्यय		
विज्ञापन व्यय	1,63,834	366
लेखापरीक्षा फीस	1,48,276	1,58,952
बैंक प्रभार	5,918	12,255
प्रकाशन की लागत	10,03,600	9,52,296
सीएससीएपी सामान्य व्यय	1,919	786
विद्युत और जल प्रभार	31,58,986	19,28,620
कार्यालय बीमा व्यय	20,736	20,736
बैठक और संगोष्ठी व्यय	91,53,377	52,74,767
एनडीएमसी संपत्ति कर	1,36,260	–
कार्यालय व्यय	4,99,688	5,33,045
डाक टिकट और टेलीग्राम	7,449	31,003
वृत्तिक प्रभार	62,99,584	51,28,140
मुद्रण और लेखन सामग्री व्यय	5,06,437	5,51,784
मरम्मत और अनुरक्षण	22,45,740	56,18,062
सुरक्षा व्यय	4,99,828	2,08,036
टेलीफोन व्यय	5,71,724	4,97,579
यात्रा और वाहन	14,60,354	25,51,793
संदत्त व्याज- ईपीएफ ट्रस्ट	96,797	2,17,682
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	2,19,055	1,76,347
ग्राहकी और सदस्यता व्यय	2,98,026	70,505
प्रशिक्षण प्रभार	32,405	–
नकदी और बैंक अतिशेष	–	1,97,793
II. नियत आस्तियों के लिए संदाय		
कंप्यूटर/उपसाधन	13,78,749	7,41,944
विद्युत इंस्टालेशन	2,68,252	67,750
फर्नीचर और फिक्स्चर	20,23,689	30,30,394
पुस्तकालय आईटी अवसंरचना	34,52,602	24,25,156
पुस्तकालय पुस्तकें और जनरल	20,17,383	7,53,371
कार्यालय उपस्कर	18,83,925	5,50,602
निर्माण	14,21,396	–
तिपहिया रिक्शा	7,000	–
चल रहा पूंजी संकर्म (निर्माण)	1,30,154	5,150
कुल अग्रनित	5,32,89,744	4,95,61,559

ह/- **लेखाकार**	ह/- **ए.डी. वित्त**	ह/- **निदेशक**	ह/- **उप महानिदेशक**	ह/- **महानिदेशक**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(2)

प्राप्तिया	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला
कुल अग्रनित	7,79,82,807	7,32,60,063	कुल अग्रनीत	5,32,89,744	4,95,61,559
			III.प्रतिभूति और ऋणों का प्रतिदाय		
			प्रतिभूति जमा-पुस्तकालय	5,300	5,600
			IV. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
			केलोनिवि को भुगतान	49,39,459	1,41,37,820
			अभिदाय का प्रतिदाय रददकरण	-	510
			प्रतिभूति जमा-एनडीएमसी	-	3,04,500
			प्रतिभूति जमा-वोडाफोन	2,000	-
			सीएससीएपी अनुदान का उपयोग	5,31,066	9,40,677
			आईसीएसएसआर अनुदान का उपयोग	1,82,204	-
			अनुसंधान हेतु अनुदान पर व्यय	2,00,000	-
			अन्य व्यय	20,28,806	24,80,251
			कर्मचारियों को त्योहार का अग्रिम भुगतान	1,500	51,000
			V. इतिशेष		
			(क) पास में नकदी		
			पास में नकदी	-	-
			(ख) बैंक अतिशेष		
			चालू खाता		
			स्टेट बैंक आफ इंडिया	1,67,97,147	57,70,117
			(ग) अन्य		
			अग्रदाय खाता	5,000	5,000
			प्रेषक के पास डाक टिकटें	581	3,029
कुल	7,79,82,807	7,32,60,063	कुल अग्रनीत	7,79,82,807	7,32,60,063

स्थान : नई दिल्ली
तारीख: 16.5.2011

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
लेखाकार	**ए.डी. वित्त**	**निदेशक**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

(2)

3

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2011 को यथा विद्‌यमान तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

संग्रह/पूंजी निधि और दायित्व	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
संग्रह/पूंजी निधि	1	85,98,639	73,78,289
चिह्नांकित/स्थायी निधि	2	-	-
आस्थगित आय	3	5,14,75,885	3,44,91,687
चालू दायित्व और प्रावधान	4	2,38,43,524	1,79,43,778
योग		8,39,18,048	5,98,13,754
आस्तियां			
नियत आस्तियां	5	5,28,17,479	3,59,13,040
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	6	3,11,00,569	2,39,00,714
योग		8,39,18,048	5,98,13,754
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	12		
आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणी	13		

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 16-05-2011

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
लेखाकार	**ए.डी. वित्त**	**निदेशक**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

3

(4)

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि रुपए में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
केन्द्रीय सरकार से अनुदान (अनुसूची 4, 4बी देखिए)		4,22,63,265	4,91,36,596
सदस्यता फीस	7	9,96,156	5,91,274
स्वामिस्व, प्रकाशनों आदि से आय	8	1,95,047	3,397
अन्य आय	9	69,64,536	74,77,533
योग (क)		5,04,19,004	5,72,08,800
व्यय			
स्थापना व्यय	10	1,53,54,192	2,43,71,256
अन्य प्रशासनिक व्यय	11	2,57,08,857	2,42,37,099
अनुसंधान के लिए अनुदान पर व्यय		2,00,000	–
प्रकाशनों की लागत		10,02,600	7,85,434
अवक्षयण (देखिए अनुसूची 5)		69,29,655	46,85,636
परिसंपत्तियों के निपटान पर व्यय		3,350	–
योग (ख)		4,91,98,654	5,40,79,425
वह अतिशेष जो अधिशेष/कम है (क-ख)		12,20,350	31,29,375
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	12		
आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पणी	13		

स्थान : नई दिल्ली
तारीख: 16/05/2011

ह/- **लेखाकार** ह/- **ए.डी. वित्त** ह/- **निदेशक** (4) ह/- **उप महानिदेशक** ह/- **महानिदेशक**

(5)

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31मार्च, 2011 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 1 - संग्रह/पूंजी निधि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष		73,78,289		42,48,914
जोड़िए: संग्रह/पूंजी निधि में अभिदाय	-		-	
जोड़िए: आय और व्यय लेख से अंतरित शुद्ध/व्यय का	12,20,350		31,29,375	
		12,20,350		31,29,375
वर्ष के अंत में अतिशेष		85,98,639		73,78,289

अनुसूची 2 - उद्दिष्ट/पूर्त निधियां				योग	
		आईसीएसएसआर से अनुदान	एमईए परियोजनाओं से अनुदान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	निधियों का प्रारंभिक अतिशेष	-	(7,67,782)	(7,67,782)	(13,54,293)
ख	निधियों में परिवर्धन:				
	अनुदान/संदान/प्रतिदाय	1,96,280	3,76,496	5,72,776	17,50,604
	निधियों के मद्दे किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-
ग)	निधियों के उद्देश्यों केक प्रति उपभोग/व्यय				
	i. पूंजी	-	-	-	-
	- नियत आस्तियां				
	- अन्य				
	ii. राजस्व व्यय			-	-
	- वेतन, मजदूरियां और भत्ते आदि	1,78,420	-	1,78,420	
	- किराया	-	-		
	- अन्य-आय और व्यय लेखा को अंतरित	20,029	3,10,127	3,30,156	10,03,342
	iii. अप्रयुक्त अनुदानों का प्रतिदाय		-	-	1,60,751
	वर्ष के अंत में शुद्ध अतिशेष (क+ख+ग)	(2,169)	(7,01,413)	(7,03,582)	(7,67,782)
	अनुसूची-ख को अंतरित विकलन अतिशेष	(2,169)	(7,01,413)	(7,03,582)	(7,67,782)
		-	-	-	-

अनुसूची 3 - आस्थगित आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक अतिशेष	3,44,91,687	2,06,03,853
जोड़िए: अवक्षयणीय नियत आस्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित अनुदान (शुद्ध)	2,38,39,828	1,84,87,943
घटाइए: ऐसी आस्तियों पर प्रभारित अवक्षण के बराबर रकम जो आय और व्यय लेखे में अंतरित कर दी गई है।	68,55,630	46,00,109
योग	5,14,75,885	3,44,91,687

ह/- लेखाकार   ह/- ए.डी. वित्त   ह/- निदेशक   ह/- उप महानिदेशक   ह/- महानिदेशक

(6)

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31मार्च, 2011 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 4 – चालू दायित्व और प्रावधान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू दायित्व				
1) विविध लेनदार		24,76,327		21,12,370
2) प्राप्त किया गया अग्रिम		6,14,202		4,30,758
3) कानूनी दायित्व				
क) शेध्य	1,63,754		1,63,754	
ख) अन्य	2,92,875		2,75,986	
		4,56,629		4,39,740
4) अन्य चालू दायित्व				
क) प्रतिभूति निक्षेप	7,40,515		7,03,815	
ख) केंद्रीय सरकार से अनुप्रयोजित अनुदान	1,10,12,369		71,15,462	
ग) संदेय वेतन और भत्ते	8,58,691		7,60,441	
घ) अन्य दायित्व	8,34,228		4,06,595	
		1,34,45,803		89,86,313
योग (क)		1,69,92,961		1,19,69,181
ख. प्रावधान				
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान		68,50,563		59,74,597
योग (ख)		68,50,563		59,74,597
योग (क+ख)		2,38,43,524		1,79,43,778

अनुसूची 4.4 (ख) केंद्रीय सरकार से अनुप्रयोजित अनुदान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अतिशेष	71,15,462	87,40,001
जोड़िए: वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	7,00,00,000	6,60,00,000
	7,71,15,462	7,47,40,001
घटाइए: केंद्रीय सरकार से अनुदान के रूप में आय और व्यय लेखे में अन्तरित	4,22,63,265	4,91,36,596
	3,48,52,197	2,56,03,405
घटाइए: अवक्षयणीय नियत आस्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित (आस्थगित आय को अन्तरित)	2,38,39,828	1,84,87,943
उपयोग न किया गया अनुदान, जिसमें पूंजी खाते पर अग्रिम सम्मिलित है।	1,10,12,369	71,15,462
योग	1,10,12,369	71,15,462

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
लेखाकार	**ए.डी. वित्त**	**निदेशक**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2011 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5 – नियत आस्तियां

(राशि रुपए में)

	सकल				अवक्षयण				निवल	
	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत पर लागत	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत में यथा विद्यमान	पिछले वर्ष के अंत में यथा विद्यमान
स्वयं की निधियों से अर्जित नियत आस्तियां										
1. निर्माण	28,65,530	–	–	28,65,530	15,37,891	66,382	–	16,04,273	12,61,257	13,27,639
2. फर्नीचर, फिक्सचर	11,56,195	–	–	11,56,195	10,79,367	11,523	–	10,90,890	65,305	76,828
3. कार्यालय उपस्कर	51,097	–	–	51,097	47,798	495	–	48,293	2,804	3,299
4. पुस्तकालय पुस्तकें और जर्नल	38,967	–	–	38,967	25,380	1,359	–	26,739	12,228	13,587
उप-योग (क)	41,11,789	–	–	41,11,789	26,90,436	79,759	–	27,70,195	13,41,594	14,21,353
केंद्रीय सरकार के अनुदान से अर्जित नियत आस्तियां										
1. निर्माण	14,50,269	1,12,58,814	–	1,27,09,083	4,26,832	3,50,112	–	7,76,944	1,19,32,139	10,23,437
2. फर्नीचर, फिक्सचर	1,41,83,133	28,12,258	–	1,69,95,391	63,79,588	15,28,683	–	79,08,271	90,87,120	78,03,545
3. कार्यालय उपस्कर	51,23,727	33,39,298	12,060	84,50,965	20,90,839	8,46,826	6,710	29,30,955	55,20,010	30,32,888
4. कम्प्यूटर/उपसाधन	59,25,273	13,78,749	–	73,04,022	41,69,110	7,06,521	–	48,75,631	24,28,391	17,56,163
4. पुस्तकालय पुस्तकें और जर्नल	91,43,795	19,83,732	384	1,11,27,143	33,71,864	7,15,651	–	40,87,515	70,39,628	57,71,931
6. पुस्तकालय आईटी अवसंरचना	61,75,784	44,47,006	–	1,06,22,790	13,13,611	18,85,919	–	31,99,530	74,23,260	48,62,173
7. वैदयुत उपस्कर	54,54,656	55,11,223	–	1,09,65,879	35,98,642	8,01,377	–	44,00,019	65,65,860	18,56,014
8. साइकिल एवं	4,000	7,000	–	11,000	2,491	751	–	3,242	7,758	1,509
9. जल प्रदाय प्रर्णालियां	1,93,583	2,60,461	–	4,54,044	42,695	14,056	–	56,751	3,97,293	1,50,888
उप-योग (ख)	4,76,54,220	3,09,98,541	12,444	7,86,40,317	2,13,95,672	68,49,896	6,710	2,82,38,858	5,04,01,459	2,62,58,548
चालू वर्ष का योग (क+ख)	5,17,66,009	3,09,98,541	12,444	8,27,52,106	2,40,86,108	69,29,655	6,710	3,10,09,053	5,17,43,053	2,76,79,901
पिछला वर्ष	4,03,63,780	1,14,02,229	–	5,17,66,009	1,94,00,472	46,85,636	–	2,40,86,108	2,76,79,901	–
चल रहा पूंजी कार्य									10,74,426	82,33,139
योग									5,28,17,479	–

ह/- लेखाकार   ह/- ए.डी. वित्त   ह/- निदेशक   ह/- उप महानिदेशक   ह/- महानिदेशक

(8)

31मार्च, 2011 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 6 - चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू आस्तियां				
1 विविध देनदार		-		1,16,733
2 पास में नकद अतिशेष (चेकों/ड्राफ्टों और अग्रदाय सहित)		5,581		8,029
3 बैंक अतिशेष				
अनुसूचित बैंकों में				
- चालू खातों में (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया)		1,67,97,147		57,70,117
- निक्षेप खातों में		-		-
योग (क)		1,68,02,728		58,94,879
ख. ऋण अग्रिम और अन्य आस्तियां				
1 नकद या वस्तु रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूलनीय अग्रिम और अन्य राशियां				
क) पूंजी लेखा के संबंध में - केंद्रीय लोक निर्माण विभाग		68,30,935		86,22,025
ख) पूंजी लेखा के संबंध में - एनआईसीएसआई		19,08,800		-
ग) पूर्व भुगतान		2,01,857		2,08,916
घ) ईएसआईसी दवारा वसूली गई रकम		35,72,707		35,72,707
ड) निर्धारित निधि के खाते में		7,03,582		7,67,782
च) वसूल होने योग्य आय कर (टीडीएस)		18,774		-
छ) अन्य		10,61,186		48,34,405
योग (ख)		1,42,97,841		1,80,05,835
योग (क+ख)		3,11,00,569		2,39,00,714

ह/- लेखाकार   ह/- ए.डी. वित्त   ह/- निदेशक   ह/- उप महानिदेशक   ह/- महानिदेशक

(8)

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 7	सदस्यता फीस	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	पुस्तकालय सदस्यता	9,96,156	5,91,274
	योग	9,96,156	5,91,274

अनुसूची 8	स्वामिस्व, प्रकाशन आदि से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	रायल्टी	1,94,549	–
	प्रकाशनों की बिक्री	498	3,397
	योग	1,95,047	3,397

अनुसूची 9	अन्य आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	क) आस्थगित आय से अन्तरित (देखिए अनुसूची 3)	68,55,630	46,00,109
	ख) विविध आय	84,906	45,874
	ग) पूर्व अवधि की आय - वेतन वसूलियां	24,000	–
	घ) अपलिखित दायित्व	–	28,31,550
	योग	69,64,536	74,77,533

ह/- लेखाकार ह/- ए.डी. वित्त ह/- निदेशक ह/- उप महानिदेशक ह/- महानिदेशक

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(Amount in Rs.)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 10 स्थापना व्यय		
क) वेतन और मजदूरियां	1,11,51,535	1,27,32,322
ख) बोनस	1,30,676	1,60,733
ग) कर्मचारी भविष्य और पेंशन निधि का वितरण	8,02,178	10,58,283
घ) कर्मचारी कल्याण व्यय	25,356	26,182
ड) प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार - आरपीएफसी	15,868	7,431
च) कर्मचारियों और सेवानिवृत्त अपलिखत फायदों और सेवांत फायदे (अपदान) के लिए	13,34,484	53,92,503
छ) कर्मचारियों और सेवानिवृत्त अपलिखत फायदों और सेवांत फायदे (अपदान पूर्व अवधि) के लिए	-	47,73,851
ज) चिकित्सा प्रभार (वसूलियों का शुद्ध)	18,71,579	2,02,188
झ) कर्मचारी समूह बीमा	22,516	17,763
योग	1,53,54,192	2,43,71,256

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 11 अन्य प्रशासनिक व्यय		
क) लेखा फीस	1,48,276	1,58,952
ख) सीएससीएपी - सामान्य फीस	1,919	771
ग) विज्ञापन	1,63,834	-
घ) विद्युत और जल	31,83,599	20,61,067
ड) संगोष्ठियों और कार्यशालाओं पर व्यय	86,59,839	59,70,724
च) कार्यालय बीमा	20,736	20,736
छ) संदत्त ब्याज ईपीएफ	96,797	2,17,682
ज) एनडीएमसी संपत्ति कर	70,680	-
झ) कार्यालय व्यय	4,19,151	5,77,291
ञ) डाक प्रभार, टेलीफोन और संचार	5,42,973	5,61,623
ट) मुद्रण और लेखन सामग्री	4,63,873	5,85,591
ठ) वृत्तिक और अन्य मानवशक्ति किराया	61,84,398	50,79,789
ड) मरम्मत और अनुरक्षण	22,93,808	55,96,532
ढ) सुरक्षा	4,82,522	2,07,672
ण) यात्रा और वाहन	18,24,740	26,80,882
त) अन्य	38,323	14,962
थ) समाचारपत्र, किताबें और पत्रिकाएं	2,14,056	1,76,252
द) ग्राहकी और सदस्यता फीस	2,98,026	69,380
ध) नकद, बैंक और अवक्रय	-	2,06,654
न) वसूलनीय मदें	1,16,733	50,539
प) पूर्व अवधि के	4,84,574	-
योग	2,57,08,857	2,42,37,099

ह/- लेखाकार   ह/- ए.डी. वित्त   ह/- निदेशक   ह/- उप महानिदेशक   ह/- महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 12 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. लेखाकरण अभिसमय

जब तक कि अन्यथा कथित न हो, लेखाओं की ऐतिहासिक लागत अभिसमय के आधार पर और साधारणतया लेखाकार की प्रोद्भवन पद्धति पर तैयार किया गया है।

2. नियत आस्तियां और अवक्षयण

2.1. नियत आस्तियों का कथन अर्जन की लागत पर किया जाता है, जिनके अंतर्गत अर्जन के संबंध में अनुषंगी और प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित हैं।

2.2 नियत आस्तियों का मूल्यांकन लागत पर, उसमें से एकत्रित अवक्षयण को घटाकर किया गया है। नियत आस्तियों पर अवक्षयण, प्रबंधन द्वारा विनिश्चित किए गए, अनुसार समुचित दरों पर अपलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया गया है।

निर्माण	5%
पुस्तकालय पुस्तकें और जर्नल	10%
फर्नीचर और फिक्सचर	15%
कार्यालय उपस्कर	15%
कम्प्यूटर/उपसाधन	25%
वैद्युत प्रतिष्ठान	15%
दुपहिया साइकिलें	15%
जल प्रदाय प्रणाली	5%

रिपोर्ट के अधीन वर्ष के 1 अक्तूबर को या उसके पश्चात क्रय की गई आस्तियों का उपरोक्त कथित दरों से 50% का अवक्षण कर लिया गया है।

3. राजस्व मान्यता

3.1 विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदानों/अभिदायों को प्रारंभ में दायित्व के रूप में माना गया है और उन्हें वर्ष के दौरान उपयोग के अनुसार पूंजी या राजस्व व्ययों के लिए समायोजित किया गया है।

3.2 अवक्षणीय आस्तियों के लिए उपयोग की गई सीमा तक अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और उसे प्रणालीबद्ध तथा सुसंगत आधार पर आय और व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।

3.3 साधारणतया राजस्व व्यय के लिए उपयोजित अनुदानों को वर्ष के दौरान आय माना गया है।

4. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को संव्यवहार की तारीख को लागू विनिमय दर पर दर्ज किया गया है।

5. सेवानिवृत्ति फायदे

भविष्य निधि में नियोजक और नियोक्ता के अभिदाय को एक प्रथक न्यास में अंतरित किया जाता है।

उपदान के लिए प्रावधान की संगणना इस उपधारणा पर की जाती है कि उपदान सभी कर्मचारियों को लेखाकरण वर्ष की समाप्ति पर संदेय है। उपदान की ऐसी रकम को राजस्व में प्रभारित किया जाता है। छुट्टी नकदीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 16.5.2011

ह./	ह./-	ह./	ह./-	ह./
लेखाकर	**ए.डी. वित्त**	**निदेशक**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 13 आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण

1. **आकस्मिक दायित्व:**

   अ. श्री एच.एस. चड्ढा, एसी संयंत्र प्रचालक नामक कर्मचारी की सेवाएं प्रबंधन द्वारा 01 अप्रैल, 1995 से 26 सितंबर, 2001 के दौरान समाप्त कर दी गई थी। उन्होंने समाप्ति के विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया था और निचले न्यायालय ने आईसीडब्ल्यूए कर्मचारी को पिछली पूरी अवधि का पारिश्रमिक देने का निदेश देते हुए आदेश पारित किया। इस निमित्त आईसीडब्ल्यू ने 2.00 लाख रुपए का दायित्व उपलब्ध नहीं कराया है क्योंकि आईसीडब्ल्यूए में न्यायालय के पास 1,01,205/- रुपए जमा किए हैं जिन्हें तुलन पत्र में अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

   ब. आईसीबल्यूए के विरुद्ध उच्च न्यायालय मामलों में दायित्व: रकम अधिनिर्धारित नहीं है।

2. **पूंजी प्रतिबद्धताएं:** अग्रिमों से निवल 8.64 लाख रुपए

3. विश्व मामलों की भारतीय परिषद को, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी है, विश्व मामलों की भारतीय परिषद एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में 1943 में स्थापित किया गया था। विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय ने भारतीय विश्व कार्य संबंधी परिषद अध्यादेश, 2000 (2000 का 3) जारी किया था, जिसके द्वारा परिषद के प्रबंधन को भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। इस अध्यादेश को अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्या 29) के अधिनियम द्वारा और विनियमित किया गया था। वर्तमान में परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से मिलने वाले अनुदानों द्वारा वित्तपोषित है।

4. विविध लेनदारियां, जो 1,16,733 रुपए हैं और जो तुलनपत्र में चालू आस्तियों का भाग हैं, वसूलनीय नहीं हैं और उन्हें परिषद के शासी निकाय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात डुबंत ऋण के रूप में अपलिखित किया जाए।

5. सीएससीएपी-भारत और विश्व में विविध सीएससीएपी की बैठक आयोजित करने के लिए परिषद विदेश मंत्रालय से सीएससीएपी अनुदान प्राप्त करती है। परिषद केवल अनुदान के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है, जैसे अनुदान की प्राप्ति तथा उसका विशिष्ट

मंजूरियों हेतु प्राप्त अनुदान का उपयोग। परिषद का दृष्टिकोण है कि सीएससीएपी लेनदेन परिषद के अतिशेष/कमी से प्रभावित नहीं होगा और तदनुसार नकद आधारित लेखाविधि के लिए जिम्मेवार होगा।

6. जहां कही आवश्यक था, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुन: समूहबद्ध या पुन: व्यवस्थित किया गया है ताकि वह चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप हो सके।

7. अंतिम लेखों में अंकों को निकटतम पूर्ण रुपयों में लिखा गया है।

8. चूंकि भविष्य निधि में नियोजक और कर्मचारियों के अभिदाय को एक पृथक न्यास, अर्थात विश्व मामलों की भारतीय परिषद कर्मचारी भविष्य निधि न्यास को अंतरित किया जाता है, इसलिए न्यास के खाते इन लेखों के भाग नहीं हैं।

9. तत्कालीन प्रबंधन के मात्रात्मक ब्यौरों नियत आस्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विशिष्टियां दर्शित करने वाला नियत आस्ति रजिस्टर सहित पूर्ण विशिष्टियां दर्शित करनेवाला नियत आस्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। अभिलेखों और साथ ही भौतिक सत्यापन संबंधी किसी रिपोर्ट की अनुपस्थिति में, वर्तमान प्रबंधन नियत आस्तियों के संबंध में लेखा बहियों में किन्हीं विसंगतियों, यदि कोई हों, के संबंध में कार्यवाही नहीं कर सकता था।

10. वर्तमान प्रबंधन पट्टा किराए के मद्दे किसी दायित्व, यदि कोई है, की जानकारी नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या भूमि की लागत, यदि कोई है, तो भवन की लागत में सम्मिलित किया गया है अथवा नहीं। भूमि की लागत के भवन की लागत में सम्मिलित होने की दशा में, भूमि की लागत पर भी अवमूल्यन प्रभारित किया गया है, जो साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

11. 31 मार्च, 2011 के स्टॉक में विद्यमान सामानों की सूची के बारे में आवश्यक जानकारी, जैसे मात्रा और/या उनकी लागत, वित्तीय विवरणों की सूची के मूल्य को वित्तीय विवरणों के संकलन के समय सुगमता से उपल्ध नहीं है। तदनुसार, सामानों की सूची के मूल्य को वित्तीय विवरण में सम्मिलित नहीं किया गया है।

12. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा वसूल की गई 35,72,707 रुपए की रकम को वसूलनीय के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि परिषद की यह राय है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंध परिषद को लागू नहीं हैं।

स्थान: नई दिल्ली	ह./-	ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
तारीख: 16.5.2011	**लेखाकार**	**ए.डी. वित्त**	**निदेशक**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विश्व मामलों की भारतीय परिषद के लेखाओं पर भारत के महालेखानियंत्रक और परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमारे विश्व मामलों की भारतीय परिषद (संशोधन) अधिनियम 2003 की धारा (2) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन विश्व मामलों की भारतीय परिषद को 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार संलग्न तुलन पत्र और आय और व्यय लेखे/प्राप्तियां और संदाय लेखा की उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षा की है। वित्तीय विवरणियां विश्व मामलों की भारतीय परिषद का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों, लेखा मानकों और प्रकटन संनियमों आदि पर लेखा व्यवहार के संबंध में टिप्पणियां हैं। कानूनों, नियमों और विनियमों (प्रोप्राइटरी और विनियामक) तथा दक्षता बनाम निष्पादन पहलुओं के संबंध में वित्तीय संव्यवहारों पर लेखापरीक्षा संप्रेक्षण, यदि कोई हो, तो निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथकत: रिपोर्ट किया गया है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यत: अपनाए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों की यह अपेक्षा है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना इस तरह से बनाएं और लेखापरीक्षा इस तरह से करें कि हमें यह पता चल सके कि वित्तीय विवरणियां तात्विक मिथ्या कथनों से मुक्त है। किसी लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर जांच करना, प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों के समर्थन में सबूत एकत्रित करना और प्रबंधन के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना शामिल है। हमारा यह विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

ii) हमारी रिपोर्ट में व्यवहार किया गया तुलन पत्र और आय-व्यय लेखा/प्राप्तियां और संदाय लेखा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, महालेखा नियंत्रक द्वारा विहित प्ररूप में प्रदर्शित किया गया है।

iii) हमारी राय में विश्व मामलों की भारतीय परिषद ने अधिनियम 2003 की धारा 20(1) द्वारा यथाअपेक्षित लेखा बहियों और अन्य सुसंगत अभिलेख रखे हैं जैसाकि ऐसी लेखा बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है कि:

(क) सहायता अनुदान

परिषद मुख्यत: भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहायता अनुदान से वित्तपोषित होती है। वर्ष 2010-11 के दौरान 71,15,462 रुपए का अव्ययित अतिशेष था और परिषद को 7,00,00,000 रुपए (गैर-योजना) का अनुदान प्राप्त हुआ था जिससे कुल योग 7,71,15,462 रुपए हो गया। तथापि, परिषद ने 6,61,03,093 रुपए का व्यय किया था। इसके अतिरिक्त (अनुसूची 2) परिषद को विदेश मंत्रालय की सीएससीएपी और सीएसएसआर परियोजनाओं के लिए 5,72,776 रुपए प्राप्त हुए थे। तथापि अभी भी (अनुसूची 2) 7,01,413 रुपए की रकम विदेश मंत्रालय से और 2,169 रुपए आईसीएसएसआर से शोध्य है। परिषद ने विभिन्न स्रोतों से भी (अनुसूची 7,8,9) 12,76,103 रुपए प्राप्त किए हैं।

ख. प्रबंध पत्र

उन त्रुटियों को जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उपचारक शोधक कार्रवाई के लिए प्रबंधन द्वारा जारी पृथक पत्र के माध्यम से परिषद की जानकारी में लाया गया है।

5. पूर्वगामी पैराओं में हमारे संप्रेक्षणों के अधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में हमारे द्वारा व्यवहार किया गया तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और संदाय लेखा बहियों के अनुसार हैं।

6. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा नीतियों और लेखा पर टिप्पणियों के साथ पठित और उपरोक्त कथित

महत्वपूर्ण विषयों के अधीन रहते हुए तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-1 में वर्णित अन्य मामलों के अधीन रहते हुए उक्त वित्तीय विवरणियां भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट एक सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है:

(क) जहां तक 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार विश्व मामलों की भारतीय परिषद के कार्यों से यह तुलन पत्र संबंध रखता है; और

(ख) जहां तक इसका संबंध 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परिषद के आय और व्यय लेखे से है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

ह./-
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

17

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 24.10.2011

17

नोट: प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होगी, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

अनुबंध-1

विश्व मामलों की भारतीय परिषद की 2010-11 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:

- परिषद का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा खण्ड नहीं था और विदेश मंत्रालय ने भी परिषद की कोई आंतरिक लेखा परीक्षा संचालित नहीं की थी।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:

नियंत्रण व्यवस्था:

- कार्मिकों के कर्तव्यों का कोई पृथक्करण नहीं है क्योंकि जो कार्मिक बीजक तैयार कर रहे हैं, वही कार्मिक नकद का संवितरण कर रहे थे।
- निर्णय लेने को सुकर बनाने के लिए कोई प्रबंध सूचना प्रणाली स्थापित नहीं की गई है।

मानीटरी:

- लेखापरीक्षा में पाई गई आपत्तियों पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं थी क्योंकि 2001-01 से 2008-09 की अवधि में 14 पैरा अनुत्तरित थे।

3. नियत आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- नियत आस्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है और इस प्रकार लेखापरीक्षा में नियत आस्तियों को सुरक्षित रूप में सत्यापित नहीं किया जा सकता।

4. सामग्रियों की सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- पुस्तकों और प्रकाशनों, लेखन सामग्री और अन्य उपभोज्य मदों जैसी सामग्री सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

5. शोध्यों के संदाय में नियमितता

- 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार 1,59,361 रुपए के सेवाकर का संदाय बकाया था।

ह./-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी